16/2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Y 171140

स्मृति –पत्र

न्यास का नाम – ग्लोबल एजूकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट

न्यास का पता – ग्राम नूरपुर हुसैन, परगना बढ़ापुर, तहसील नगीना जिला बिजनौर।

न्यास का कार्य क्षेत्र – राष्ट्रीय स्तर पर

स्थापना राशि – पाँच हजार रुपये। (समिति सभ्य से)

न्यासीगण

1. मौ0 नाजिम पुत्र मौ0 आजम (अध्यक्ष)

निवासी रियासत कोठी बाजार, बढ़ापुर, तह0 नगीना (बिजनौर)

आधार नं० 802118418186 Mob. 9719478295

2. अज़ीम खान पुत्र हबीब खान (महासचिव)

निवासी अम्बेडकर कालोनी, छतरपुर (दिल्ली)

आधार - 327592170009 Mob- 09818136130

Rahat Hussain

3. राहत हुसैन पुत्र इकरोदार हुसैन (कोषाध्यक्ष)

नि0 मौ0, मुफ्तियान किरतपुर (बिजनौर) आधार 508129059114 Mob. 7819023439

आज दिनांक 20/7/2020 को उपरोक्त सभी न्यासीगण ग्लोबल एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अन्तर्गत मुख्यतः अल्पसंख्यकों की रक्षा हेतु तथा उनकी भाषाओं के विकास हेतु व उत्थान हेतु समस्त प्रकार

क्र०सं० 3013 ता० 16-7-2020 कीमत 500x2=1000

नाम-

पता-

वास्ते-

नवीन कुमार
स्टाम्प विक्रेता तहसील नगीना

13 JUL 2020

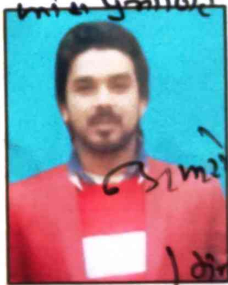

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
Y 171141

की शिक्षा के विकास हेतु, समस्त नागरिकों का देश के प्रति प्रेम हेतु नैतिक मूल्यों एवं आदर्श गुणों के विकास हेतु, समस्त नागरिकों के स्वास्थय हेतु, अन्य समस्त वर्गो के समुचित विकास व उत्थान हेतु, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं के विकास हेतु एवं शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु करा रहे है। इस न्यास के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कुछ नियमों, उपनियमों एवं महत्वपूर्ण उद्देश्यों का गठन कर 1000 रूपये का स्टाम्प अदाकर उ0प्र0 सरकार के उपनिबन्धक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय जिला नगीना (बिजनौर)उ0प्र0 भारत में रजिस्ट्री करा रहा है। न्यास के पास इस समय 5,000.00 रूपये की नकद धनराशि मौजूद है ताकि न्यास के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न आये। इसीलिए न्यास के सफल संचालन हेतु समस्त न्यासीगण मिलकर तन–मन–धन से न्यास के उद्देश्यों एवं कार्यो को आगे बढ़ायेंगे।

<u>न्यास के उद्देश्य–</u>

इस न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे जो इस प्रकार है।

1– न्यास द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं विकास हेतु विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि खोलना एवं उनका संचालन करना आदि।

पेज 2 पर

क्र०सं० 3013 ता० 16-7-2020 कीमत 400

नाम–

पता–

वास्ते–

नवीन कुमार
स्टाम्प विक्रेता तहसील नगीना

13 JUL 2020

आवेदन सं०: 202000714005158

न्यास पत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 16 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 500 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्री मो० ... .
पुत्र श्री मो० आजम
व्यवसाय ... अन्य
निवासी: ... रियासत कोठी बाजार बढापुर तह० नगीना जिला बिजनौर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 22/07/2020 एवं 10:18:04 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार विशनोई (प्रभारी)
उप निबंधक :नगीना
बिजनौर
22/07/2020

प्रदीप कुमार विशनोई
निबंधक लिपिक

2– समस्त प्रकार की शिक्षा बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च जिसमें विधिक तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा सम्मिलित हो उसे महत्वपूर्ण शिक्षा सिद्धान्तो के आधार पर उपलब्ध कराना आदि।

3– इन सभी के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रकार के सेमिनार व कैम्प उत्सवों आदि का आयोजन करनां।

4– न्यासीगण जैसा उचित समझे जैसे भारतवर्ष/राष्ट्र मे कही भी ट्रस्ट की शाखायें खोल सकते है।

5– शिष्यों को सम्मानजनक एवं उच्च जीवन देने के लिये, आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रशिक्षित करना जिससे कि वह स्वस्थ एवं विकासशील नागरिक बन सकें।

6– शैक्षिक संस्था से जुड़े विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों एवं रिहायशी स्थानों को स्थापित कर सुचारू रूप से चलाना एवं पुस्तकालय आदि की स्थापना करना।

7– उपहार, दान, या अन्य रूप में या किराये पर भूखण्ड या बिल्डिंग लेकर विभिन्न अन्वेषणों, संस्थाओं को स्थापित कर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना आदि।

8– विद्यालय कालेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिणिक एवं तकनीकी संस्थानों के गरीब, जरूरतमन्द व पात्र छात्रों के लिये विशेषतः अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षावृति एवं छात्रवृति की व्यवस्था करना।

9– स्कूल, मदरसों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं समस्त प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

10– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये बैंक एवं अन्य वित्तीय इकाइयों की स्थापना करना व व्यक्तियों से ऋण लेना व देना तथा न्यास की सम्पत्ति को गिरवी/विक्रय करना आदि।

आवेदन सं०: 202000714005158

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 16 | वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री मौ० नाजिम, पुत्र श्री मौ० आजम

निवासी: नि० रियासत कोठी बाजार बढापुर तह० नगीना जिला बिजनौर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री निशात हिलाल , पुत्र श्री मौ० नाजिम

निवासी: नि० मौह० रियासत कोठी बाजार बढापुर तह०नगीना जिला बिजनौर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

11– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान नकद वस्तु रूप में उसे स्वीकारना या अन्य किसी संस्था या न्यास को उसके विकास के लिये आवश्यकतानुसार इस न्यास से दान देना आदि।

12– जन सामान्य की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास हेतु न्यास जैसा उचित समझे वैसे औषधालय, चिकित्सालय, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय मदरसों एवं समस्त प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रिसर्च सेन्टर, कला केन्द्र एवं संगीत केन्द्र सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थान खोलना एवं उपरोक्त केन्द्र में आवश्यकतानुसार न्यास के पाठ्यक्रमों को संचालित करना आदि।

13– नैशनल एवं इंटरनैशनल शान्ति हेतु समस्त नागरिकों में एकता उत्पन्न करना एवं आपसी सद्भाव एवं प्रेमभाव उत्पन्न करना आदि।

14– प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त नागरिकों की नैशनल व इंटरनैशनल लेवल पर सेवा कार्य करना आदि।

15– धार्मिक स्थलों की रक्षा करना एवं अरबी, फारसी, उर्दू , हिन्दी, अंग्रेजी हेतु सम्बन्धित संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना आदि।

16– न्यास की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये लघु उद्योगो की स्थापना करना। लघु उद्योगो से प्राप्त धन को शिक्षा के विकास हेतु अल्पसंख्यकों तथा भारत के अन्य गरीबों पर खर्च करना आदि।

17– ट्रस्ट के द्वारा पशुपालन एवं डेरी, कुक्कर पालन, बकरी पालन, गाय पालन, रेशम, मधुमक्खी पालन, कीट पालन, मौम. पालन, वर्मो कम्पोस्ट निर्माण, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, जड़ी बूटी, हैड़लूम का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं व्यवसाय एवं संचालन कराना।

श्री अफरोज हिलाल , पुत्र श्री मौ० नाजिम
निवासी: नि० मौह० रियासत कोठी बाजार बढापुर
पर० बढापुर तह० नगीना जिला बिजनौर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

प्रदीप कुमार विशनोई (प्रभारी)
उप निबंधक : नगीना
बिजनौर

प्रदीप कुमार विशनोई
निबंधक लिपिक

18– जनहित में सरकार की समस्त योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थाओं से आवश्यक सहायता एवं ऋण प्राप्त करना तथा उसका उपयोग जनहित में आवश्यकतानुसार कराना आदि।

19– जनसाधारण के हितार्थ हेतु निःशुल्क विधवाश्रम अनाथाश्रम इत्यादि की स्थापना करना तथा विधिवत संचालन करना। साथ ही विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाकर अनुदान या दान प्राप्त करना आदि।

20– न्यास ग्लोबल माडर्न ऐकेडमी के नाम से एक इकाई की स्थापना करेगा एवं उसका संचालन करेगा। ये फाउंडेशन भी न्यास के समस्त उद्देश्यों एवं सामाजिक कार्यो पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा अर्थात मुख्यतः समस्त सामाजिक एवं शैक्षिणक कार्य इसके उद्देश्यों में निहित होंगे साथ ही इस फाउन्डेशन का संचालन यह न्यास ही करेगा।

21– आवश्यकता अनुसार समय–समय पर न्यास के उद्देश्यों को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

22– देश के नागरिकों को रोजगारपरक शिक्षा दिलाना एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करना।

23– नैशनल एवं इंटर नैशनल लेवल पर कोचिंग के माध्यम से युवाओं को नौकरियों हेतु परीक्षाओं की तैयारी कराना एवं बेरोजगारी को मिटाना आदि।

24– न्यास द्वारा गरीब व बेसहारा लड़कियों तथा लड़कों की शादी का प्रबन्ध करना आदि।

25– विकलांग एवं असाध्य रोगग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना।

26– समाज के लोगो को पर्यावरण की महत्ता को बताना व पर्यावरण की रक्षा हेतु जन कल्याण कार्य करना।

27— उ0प्र0 भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे भारत कौशल मिशन को बढ़ावा देना।

28— ट्रस्ट के द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण निगम, नबार्ड, सिफसा, यूनिसेफ विश्व बैंक, यू0जी0सी0, एन0सी0ई0आर0टी0, ऐशिया विकास बैंक, विकास से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना।

29— ट्रस्ट के द्वारा माध्यमिक विद्यालय /महाविद्यालय की स्थापना करना तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की नियमावली के नियम 11.06 तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 11.05 के अनुरूप कार्य किया जायेगा। यदि किसी अन्य प्रदेश में प्राईमरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय /महाविद्यालय खोले जाते है तो उस प्रदेश की नियमावली के नियम लागू होंगे।

30— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खेल मंत्रालय /मानव विकास संसाधन मंत्रालय, नेहरू युवा केन्द्र, युवा मंगल दल, महिला मंगल दल, स्पोटर्स कॉलेज/ आधुनिक कॉलेज, शिक्षा शोध को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार/यात्रायें प्रायोजित कराना आदि।

31— ट्रस्ट के द्वारा यू0पी0 बोर्ड से स्कूलों की मान्यता लेकर स्कूलों का संचालन करना तथा सी.बी.एस.सी. बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता लेकर स्कूल का संचालन करना आदि।

32— स्कूल और विद्यालयों में दोनो हिन्दी एवं अग्रेजी दोनो माध्यमों में शिक्षा प्रदान करना।

<u>न्यास की निधियॉं —</u>

न्यास की निधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा।

1. संस्थापक द्वारा दिया गया दान।
2. समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया दान जो न्यास के मुख्य उद्देश्यों के विरूद्ध न हो।
3. न्यास के संस्थानों द्वारा ली गयी शैक्षिक फीस।

4. न्यास द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कराये गये कार्यकर्मो से प्राप्त दान तथा आय।
5. न्यास की निधियों के निवेश से प्राप्त आय।
6. सरकारी, गैर–सरकारी स्वायत संस्थानों से प्राप्त दान, अनुदान उपहार, नकद अथवा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति इत्यादि ।

नियमावली:–

न्यास द्वारा न्यास के संचालन हेतु निम्नलिखित नियम एवं उपनियम बनाये गये है जो कि इस प्रकार है–

1. न्यास का नाम – ग्लोबल एजुकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट है एवं न्यास की शाखा जहॉं चाहे वहॉं पर खोलने हेतु न्यासीगण स्वतन्त्र है।
2. न्यास द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण भी दिये जायेंगे।
3. न्यास केन्द्र सरकार एवं समस्त राज्य सरकारों को भी अपने द्वारा चलाये गये पाठ्क्रमों में भी लागू करेगा चूंकि न्यास का उद्देश्य न्यास द्वारा बुनियादी शिक्षा से उच्च शिक्षा देना है।
4. न्यासीगण भारत में अथवा भारत के बाहर किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकते है।
5. न्यास के अलग–अलग विभाग होंगे जो न्यास द्वारा संचालित होंगे।
6. न्यास की पूर्ण जिम्मेदारी न्यास कमेटी की होगी।
7. न्यास में वर्तमान में केवल 3 सदस्य पदाधिकारी है। न्यास के विस्तार हेतु सदस्यों को बाद में आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है जिसकी सूचना माननीय उपनिबन्धक महोदय को देनी अनिवार्य होगी।
8. न्यास के न्यासियों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।
9. अध्यक्ष महोदय न्यास के किसी भी सदस्य की सदस्यता सभी न्यासीगण की सर्वसम्मति से समाप्त कर सकते है।

10. किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने की दशा में रिक्त हुए ट्रस्टी के पद पर उनके वारिस की नियुक्ति की जायेगी जो मृतक ट्रस्टी की वसीयत या सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित होगा। एक से अधिक वारिस होने की दशा में सभी कानूनी वारिसों में से एक जो उनकी आम सहमति या सक्षम न्यायाय द्वारा निर्धारित है को रिक्त हुए स्थान पर नियुक्त किया जायेगा।

11. न्यासियों की संघ की सभा का कोरम न्यासियों की कुल संख्या का बहुमत होगा।

12. न्यासियों का संघ साल में कम से कम दो बार सभायें जरूर आयोजित करेगा जिसमें एक सालाना सभा होगी जिसमें साल का बजट व पिछले साल का आय–व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा।

13. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ही न्यासियों की सभा महासचिव महोदय के द्वारा बुलाई जायेगी। सभा की सूचना 10 दिन पूर्व व्यक्तिगत या डाक द्वारा जैसा उचित हो देना अनिवार्य होगी। आपातकाल स्थिति में आपात सभा किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

14. न्यासीगण विद्यालय /कॉलेज /महाविद्यालय /विश्वविद्यालय /मदरसे सभी शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक संस्थाओं की श्रंखला खोल सकेंगे व उनका संचालन करेंगे।

15. न्यास का खाता न्यास के कार्यालय में होगा। खाते का साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा।

16. न्यास का अंग्रेजी में नाम "ग्लोबल एजूकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट" पढ़ा जायेगा।

17. अन्य न्यास द्वारा ग्रहण किया गया दान /उपहार या हमारे इस न्यास द्वारा दिया गया दान/उपहार गोपनीय रखा जायेगा।

18. दानदाताओं का न्यास या न्यास द्वारा संचालित संस्थानों पर किसी भी प्रकार का मालिकाना अधिकार या प्रशासनिक अधिकार नहीं होगा क्योंकि दानदाताओं ने जो दान न्यास या न्यास द्वारा संचालित संस्थानो को दिया है उसके बदले

उत्तर प्रदेश

दानदाताओं की किसी एक सन्तान को न्यास या न्यास द्वारा संचालित संस्थान में किसी एक पाठ्यकम में वन टाइम निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

19. न्यास की कोई भी कार्यवाही अध्यक्ष एवं महासचिव दोनो के हस्ताक्षर से ही पूर्ण मानी जायेगी।

न्यास के पदाधिकारियों के अधिकार :–

अध्यक्ष / चेयरमैन

1. न्यास की सभा का सभापति होगा।
2. चुनाव का मुख्य अधिकारी होगा।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के नियमों का पालन न करे तो अध्यक्ष महोदय को तत्काल प्रभाव से भंग कर चुनाव कराने हेतु पूर्ण अधिकार होगा।
4. अध्यक्ष महोदय समस्त प्रकार से निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होंगे जोकि समस्त न्यासीगण को मान्य होंगे।
5. अध्यक्ष महोदय किसी भी न्यासीगण की सदस्यता समाप्ति व नयी सदस्यता ग्रहण सभी न्यासियों की सर्व सम्मति से करेंगे।

महासचिव

1. खाली पदों पर अस्थायी / स्थायी रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
2. परीक्षा आदि का दायित्व संभालना आदि।
3. वेतन, छात्रवृत्तियॉं एवं अन्य खर्च आदि की व्यवस्था करना।
4. मासिक नोट तैयार कर समिति के सम्मुख रखना।

कोषाध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार

1. न्यास की प्रगति के लिये प्रयास करना।
2. न्यास के विकास के लिये धन की व्यवस्था करना।
3. न्यास की आय–व्यय को लिखना व समिति के सम्मुख रखना।

4. ट्रस्ट की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के कागजात रखना और उसकी देखभाल करना आदि।

5. आय–व्यय का लेखा रखना तथा अंकेक्षण कराकर वार्ड आफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करना।

ट्रस्ट की कार्यकारणी

पदाधिकारियों के नाम, पद, पते जिनको इस न्यास की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, इस प्रकार है।

1. अध्यक्ष/चेयरमैन – श्री मौ0 नाज़िम पुत्र श्री मौ0 आज़म
   मौ0 रियासत कोठी, बाजार बढ़ापुर, तहसील नगीना

   जिला बिजनौर।

2. महासचिव – श्री अज़ीम खान पुत्र श्री हबीब खान
   अम्बेडकर कालोनी, छतरपुर , दक्षिणी दिल्ली।

3. कोषाध्यक्ष – श्री राहत हुसैन पुत्र श्री इक़तेदार हुसैन
   मौ0 मुफितयान, किरतपुर, जनपद बिजनौर।

वाद क्षेत्र

1. ट्रस्ट एवं संस्था से सम्बधित सभी वाद विवाद न्यायालय बिजनौर के अधीन रहेगें।

ट्रस्ट का बैंक खाता

1. ट्रस्ट के कोष के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/प्राइवेट बैंक अथवा डाकघर में खाते खोले जायेगें। यह खाते आवश्यकतानुसार निशचित

नगीना

अवधि के लिये बचत खाता, चालू खाता अथवा सावधि खाता किसी भी रूप मे खोले जा सकते है। खाते का संचालन निम्नलिखित में से किसी भी दो व्यक्तियों के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर से संचालित होगा।

1. मौ0 नाज़िम (अध्यक्ष)
2. अज़ीम खान (महासचिव)
3. राहत हुसैन (कोषाध्यक्ष)

2. सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर ओडिट भी कराया जाना अनिवार्य है।

गवाह

निशात हिलाल पुत्र मौ0 नाज़िम मौह0 रियासत कोठी बाजार बढ़ापुर तह0 नगीना (बिजनौर)

गवाह

अफरोज़ हिलाल पुत्र मौ0 नाज़िम मौह0 रियासत कोठी बाजार बढ़ापुर तह0 नगीना (बिजनौर)

Himanshu Sachdeva
2017/20 Advocate
Civil Court Nagina (Bijnor)
00694/17

आवेदन सं०: 202000714005158

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 184 के पृष्ठ 313 से 334 तक क्रमांक 16 पर दिनाँक 22/07/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार विशनोई (प्रभारी)
उप निबंधक : नगीना
बिजनौर
22/07/2020